

प्रेस नोट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर दिनांक 23.03.2025

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखे से ऋण प्राप्त करने हेतु दूसरे के बीमा पालिसी का विवरण बैंक में देने व धोखे से लोन पास करा लेने के आरोप 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में व030नि0 शिवराज सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 373/2023 से संबंधित वांछित अभियुक्त 1.अर्जुन प्रसाद व 2. अभियुक्ता आशा देवी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2023 को अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखे से ऋण प्राप्त करने हेतु दूसरे के बीमा पालिसी का विवरण बैंक में देने व धोखे से लोन पास करा लेने के आरोप में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता-

1. अर्जुन प्रसाद पुत्र हंसा प्रसाद निवासी हुमायूँपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. आशा देवी पत्नी अर्जुन प्रसाद निवासी हुमायूँपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 373/2023 धारा 419,420,467,468,471,406,120 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व030नि0 शिवराज सिंह थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 अरविन्द कुमार राय थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
3. 30नि0 राहुल यादव थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
4. 30नि0 आकाश सिंह थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
5. म030नि0 संध्या मौर्या थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
6. कां0 मन्नू गौड़ थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
7. कां0 अविनाश कुमार यादव थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

पुरुष बन्दीगृह

